

म.प्र. लोक सेवा आयोग, इन्दौर

खनि अधिकारी लिखित परीक्षा-2010

परीक्षा दिनांक 10.07.2011 (रविवार)

विज्ञापित क्र. 561/33/2011/अनु-10

इन्दौर, दिनांक 15.09.2011

आयोग द्वारा विज्ञापित विज्ञापन क्रमांक-02/घयन/2010/01.03.2010, ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि 03.04.2010 (रात्रि 12.00 बजे तक), आयोग कार्यालय में आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30.04.2010, परीक्षा आयोजन की सूचना तथा नवीन आवेदकों से आवेदन पत्र आमंत्रण दिनांक 18.04.2011, नवीन ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि 07/05/2011, आयोग कार्यालय में प्रमाण पत्रों सहित नवीन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 16/05/2011, ऑनलाईन प्रवेश पत्र प्राप्त होने की अवधि दिनांक 20/06/2011 से 08/07/2011 तक म.प्र. शासन खनिज साधन विभाग के अंतर्गत खनि अधिकारी के अस्थायी 05 पदों हेतु खनि अधिकारी लिखित परीक्षा-2010 परीक्षा दिनांक 10/07/2011 (रविवार) एक सत्र में प्रातः 10.00 बजे से 12.00 बजे तक परीक्षा केन्द्र केवल इन्दौर पर आयोजित की गई थी।

कुल प्रावधिक अर्ह आवेदकों की संख्या अनारक्षित 06, अनुसूचित जाति 03, अनुसूचित जनजाति -निरंक-, अन्य पिछड़ा वर्ग 03, विकलांग (श्रवणबाधित)-निरंक-, भूतपूर्व सैनिक-निरंक- है। लिखित परीक्षा में साक्षात्कार हेतु कुल 12 प्रावधिक अर्ह पाये गये आवेदकों की सूची निम्नानुसार है-

MADHYA PRADESH PUBLIC SERVICE COMMISSION, INDORE

MINING OFFICER WRITTEN EXAM - 2010

Adv. No. 02/CHAYAN/2010/01-03-2010

RESULT DECLARED DATE : 15.09.2011.

ROLL NO. WISE LIST OF ALL PROVISIONALLY SELECTED CANDIDATES FOR INTERVIEW

S.No	ROLL	NAME	REMARKS
1	10001	AARTI CHOUDHARY	
2	10012	AMIT SINGH TIWARI	
3	10016	ASHALATA VAIDHYA	
4	10025	BHAVNA SENGAR	
5	10028	DAVENDRA KUMAR CHIDAR	
6	10036	FARHAT JAHAN	
7	10049	MANISH PALEWAR	
8	10054	NAVIN RAWAT	
9	10078	RANJANA VYAS	
10	10111	VIKAS SONI	
11	10117	VIVEKANAND YADAV	

याचिका क्र. 3051/2011 के आदेश दिनांक 12.05.2011 के अंतर्गत श्री दीपक कुमार सक्सेना का परीक्षा परिणाम माननीय उच्च न्यायालय, ग्वालियर के निर्णय के अधिन रहेगा:-

12	10031	DEEPAK KUMAR SAXENA	Provisional
----	-------	---------------------	-------------

Mason

अविरत . . . 2

टीप:-

- (1) सूची में दर्शाए गए प्रत्याशियों का साक्षात्कार पूर्णतया प्रावधिक (प्रॉविजनल) है, यदि यह पाया गया कि प्रत्याशी उपरोक्त पदों हेतु विज्ञापन में अधिसूचित नियमों/शर्तों को पूर्ण नहीं करते हैं तो प्रत्याशी साक्षात्कार हेतु अयोग्य माने जाएंगे।
- (2) खनि अधिकारी लिखित परीक्षा-2010 परीक्षा दिनांक 10/07/2011 (रविवार) के सभी प्रावधिक अर्ह अभ्यर्थियों हेतु अनुप्रमाणन फार्म एवं व्यक्तिगत विवरण फार्म आयोग की वेबसाईट www.mppsc.com एवं www.mppsc.nic.in पर उपलब्ध है। प्रावधिक अर्ह अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अनुप्रमाणन फार्म एवं व्यक्तिगत विवरण फार्म डाउनलोड करके विधिवत भरकर अनुप्रमाणन फार्म (दो प्रतियों में) एवं व्यक्तिगत विवरण फार्म (पाँच प्रतियों में) उसके साथ जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र एवं अन्य समस्त प्रमाण पत्रों की (प्रमाणित छायाप्रति) संलग्न कर दिनांक 10.10.2011 तक आयोग कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करें। जिन आवेदकों के अनुप्रमाणन फार्म अंतिम तिथि तक प्राप्त नहीं होंगे उनके विषय में यह माना जायेगा कि वे साक्षात्कार में भाग नहीं लेना चाह रहे हैं, उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर आयोग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
- (3) प्रावधिक अर्ह पाये गये आवेदकों के अनुप्रमाणित फार्म एवं अन्य अभिलेखों की सूक्ष्म जांच के उपरान्त ही साक्षात्कार दिनांक 21.10.11, से आयोजित होंगे।
- (4) परीक्षा में प्रत्याशियों को प्रवेश से संबंधित शर्तों के अनुसार अपनी आयु, शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र एवं अन्य समस्त प्रमाण पत्र के समर्थन में मूल प्रमाण-पत्र की प्रमाणिक प्रतियाँ साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- (5) आवेदन पत्र में त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण, असत्य जानकारी देने अथवा आयोग की विज्ञप्ति द्वारा चाही गई वांछित औपचारिकताएँ पूर्ण न करने के परिणामस्वरूप चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक को अनर्ह किया जावेगा।
- (6) यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि, वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेजें। लिखित परीक्षा में सम्मिलित किये जाने या साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जायेगी।
- (7) प्रावधिक अर्ह प्रत्याशियों की सूची आयोग कार्यालय के सूचनाफलक पर देखने के लिए उपलब्ध है। यह स्पष्ट किया जाता है कि मुद्रण की त्रुटियों के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा एवं आयोग कार्यालय के सूचना-फलक पर चरपा की गई प्रत्याशियों की सूची ही प्रमाणिक मानी जाएगी।
- (8) लिखित परीक्षा परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग को परीक्षा परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित है।

Shrikrishna
15/10/11
(डॉ. श्रीकृष्ण शर्मा)
परीक्षा नियंत्रक